तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 18/9/24 को पेश हो।
18/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 6/11/24 को पेश हो।
6/11/24	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इलतवा होकर दिनाँक 11/12/24 को पेश हो।
11/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 22/1/25 को पेश हो।
22/1/25	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इलतवा होकर दिनाँक 7/3/25 को पेश हो।
06/2/25 रतनलाल लालराम हीरालाल प्रतिवादी	प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित न्यायालय होकर एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा में पक्षकारान् के मध्य में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आज तारीख पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई, कार्यालय रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्तमान में की जवाब प्रतिवादीगण 4, 6, 8, 9 एवं प्रतिवादी नं. 5, 7, 10 से 14 की तलबी व प्रतिवादी नं. 1 से 3 के काउन्टर क्लेम के जवाब के स्तर पर लम्बित चल रहा है तथा प्रकरण में सुनवाई के लिए तारीख पेशी 07.03.2025 नियत है। प्रार्थीगण ने स्वयं ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता के हस्तगत प्रकरण को जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। अतः प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 88, 53, 188 राज.का.अधि. 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)